प्रेस विज्ञप्ति
13/07/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत विचारण (ट्रायल) में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उन राज्यों में पीएमएलए मामलों की सुनवाई के लिए अतिरिक्त विशेष न्यायालयों की स्थापना को अधिसूचित किया है, जहां पहले ऐसी न्यायालयों की संख्या अपर्याप्त थी, जिसके कारण विचारण कार्यवाही में देरी होती थी।

तेलंगाना राज्य में अब कुल 16 विशेष न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें 2 विशाखापत्तनम के लिए शामिल हैं। राजस्थान में, विशेष न्यायालयों की संख्या एक (पहले केवल जयपुर में) से बढ़ाकर पाँच कर दी गई है, जिसमें एक जोधपुर के लिए शामिल है। गोवा में, उत्तरी गोवा के लिए एक विशिष्ट विशेष न्यायालय अधिसूचित किया गया है; पहले, पूरे राज्य के लिए केवल एक ही विशेष न्यायालय था।

इन विशेष अदालतों के जुड़ने से, निदेशालय पीएमएलए मामलों में सुनवाई की कार्यवाही में उल्लेखनीय तेज़ी ला सकेगा। इस पहल से धन शोधन के विचारण (ट्रायल) में देरी से संबंधित संवैधानिक न्यायालयों की चिंताओं का भी समाधान होने की उम्मीद है।